निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (शo)

(सं0 पटना 535) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

15 मार्च 2013

सं0 22/नि0सि0(मुक0)–पू0–19–33/2011(पार्ट)/356—श्री शम्भु शरण सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी उप–समाहर्त्ता (सहायक अभियंता) राजस्व सिंचाई प्रमंडल, पूर्णियॉ द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में बरती गयी गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि के गबन संबंधी कतिपय आरोपों के लिए सरकार द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में निम्नांकित आरोप गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 811, दिनांक 16.7.05 द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयीः–

1. जलकर रोकड़बही एवं हस्तपावती पत्र का संधारण नहीं करना। हर माह प्राप्ति एवं व्यय मद में शून्य दर्शाना, व्यवहारिक एवं वैधानिक (निर्धारित) प्रक्रिया का पूर्णतः अनदेखी एवं अवहेलना करना, कपटपूर्ण तरीके से रोकड़बही के अंतशेष में हेरफेर कर कुल 48,97,656/– (अड़तालीस लाख सनतानबे हजार छः सौ छप्पन रूपये) का गबन करना।

2. वित्तीय प्रावधानानुसार एक अस्थायी अग्रिम के रहते बिना समायोजन के दूसरा अग्रिम देय नहीं है। जिस माह अस्थायी अग्रिम दिया गया हो उसी माह उसका समायोजन हो जाने के पश्चात ही दूसरा अग्रिम दिया जाना है। श्री सिन्हा द्वारा ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी और अंचल कार्यालय को अग्रिम के रहते हुए भी अन्य अग्रिम दिया गया। अग्रिम के समायोजन हेतु कभी प्रयास नहीं करना। इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि प्रमंडल कार्यालय द्वारा दिये गये अग्रिमों को अंचल कार्यालय के रोकड़बही में दर्ज किया गया अथवा नहीं। वित विभाग के अंकेक्षण जॉच दल द्वारा नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल द्वारा हस्तपावती के माध्यम से भिन्न–भिन्न अंचलों को अस्थायी

अग्रिम दिया गया, किन्तु उक्त अग्रिम अंचल के रोकड़बही में दर्ज नहीं था। कुछ अग्रिम अंचल के रोकड़बही में दर्ज था, किन्तु प्रमंडलीय रोकड़बही में दर्ज नहीं था। इस प्रकार कुल 2476421/–(चौबीस लाख छीहतर हजार चार सौ इक्कीस रूपये) प्रमंडल द्वारा हस्तपावती पर अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराया गया जो अंचल कार्यालय के रोकड़बही में दर्ज नहीं होने एवं अंचल कार्यालय द्वारा उक्त राशि को अस्वीकार करने से स्पष्ट है कि 2476421/– (चौबीस लाख छीहतर हजार चार सौ इक्कीस रूपये) का गबन करने एवं वित्तीय नियमों के उल्लंघन के लिए श्री सिन्हा दोषी हैं।

3. दिनांक 02.5.02 को प्रमंडल द्वारा कुल बीस विपत्रों के माध्यम से 16,84,941/–(सोलह लाख चौरासी हजार नौ सौ इकतालीस रूपये) की निकासी की गयी, किन्तु उक्त तिथि को रोकड़बही के प्राप्ति भाग में मात्र 16,29,661/– (सोलह लाख उनतीस हजार छः सौ इकसठ रूपये)दर्शाया गया। रू0 55,280/– (पचपन हजार दो सौ अस्सी रूपये)रोकड़बही में कम राशि प्राप्ति दिखाकर उक्त राशि का गबन करना।

4. श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रभारी उप–समाहर्त्ता,राजस्व प्रमण्डल, सहरसा के नेतृत्व में एक जॉच दल द्वारा श्री सिन्हा के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितता की जॉच की गयी जिसमे 1,40,74,463/–(एक करोड़ चालीस लाख चौहतर हजार चार सौ तीरसठ) रूपये के गबन का मामला प्रतिवेदित किया गया। जॉच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त वित्तीय अनियमितता के लिए श्री सिन्हा एवं तत्कालीन रोकड़पाल के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी। जिसका केस नं0–104/04 दिनांक 8.4.04 है, जिसमें आई0पी0सी0 धारा–409, 420, 467, 471, 120 लगाया गया। जिसका अनुसंधान जारी है।

5. राजस्व प्रमण्डल, पूर्णिया के वर्ष 2003–04 के रोकड़बही में पाया गया कि 31.3.03 के कुल अंतशेष की राशि रू0 2,29,24,184.44 (दो करोड़ उनतीस लाख चौबीस हजार एक सौ चौरासी रू0 चौवालीस पैसे)को रोकड़बही सं0–59 से रोकडबही सं0–60 में 7,42,004/– (सात लाख बेयालीस हजार चार रू0)को आरम्भ शेष के रूप में बिना यह सत्यापित किए दिनांक 1.4.04 से 6.4.04 तक कोई लेन देन नहीं हुआ किया गया। दिनांक 20.4.03 को नए उप–समाहर्त्ता प्रभार ग्रहण किए एवं उक्त तिथि को अंतशेष के रूप में रू0 83,38,955.44 (तेरासी लाख अड़तीस हजार नौ सौ पचपन रू0 चौवालीस पैसे) था।

6. श्री शाहिद लतीफ अंसारी '' तमन्ना'' तत्कालीन रोकड़पाल दिनांक 30.4.03 को सेवानिवृत हुए फिर भी उनके द्वारा सेवानिवृति के उपरान्त भी रोकड का प्रभार नये रोकड़पाल को नहीं सौपा गया। श्री सिन्हा द्वारा न तो कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी और न ही तत्कालीन रोकड़पाल के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गयी।

7. सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, पूर्णिया द्वारा दिनांक 7.4.03 से 30.4.03 तक के लिए संधारित रोकड़बही के नमुना जॉच लेखा परीक्षा समिति के क्रम में पाया गया कि दिनांक 7.4.03 को विभिन्न अंचलाधिकारियों के यहॉ लंबित अग्रिम में से रू0 1,45,91,294/– (एक करोड़ पैतालीस लाख इकानबे हजार दो सौ चौरानबे रूपया) अग्रिम का समायोजन लूज– ए– रौल के माध्यम से किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा समिति को इन समायोजनों के लिए किए गये भुगतान से संबंधित लूज–ए–रौल/प्रमाणक नहीं दिखाया गया। किस परिस्थिति में बिना प्रमाणक के उक्त राशि का समायोजन किया गया, के लिए श्री सिन्हा दोषी है।

8. भरपाई पंजी सं0–164 का पृष्ट सं0–82/831 एवं 110–111 जॉच दल द्वारा सत्यापन के क्रम में गायब पाया गया। इसके साथ हीं भरपाई पंजी सं0–159 के पृ0सं0–273 से 276 तक पन्ने गायब पाए गये। जिससे संबंधित राशि रू0–16,500/– (सोलह हजार पॉच सौ रू0) के भुगतान का सत्यापन नहीं हो सका।

9. कोषागार से निकासी की गई राशि को रोकड़वही सं0 59 के पृ0सं0 07 पर दिनांक 2.5.02 को कुल 20 अद्द विपत्रों में सन्निहित राशि 16,84,941/–(सोलह लाख चौरासी हजार नौ सौ इकतालीस) रूपया मात्र की जगह रू0–16,29,661/– (सोलह लाख उनतीस हजार छः सौ इकसठ रू0) दर्ज किया गया है। इस प्रकार

रू0 55,290/–(पचपन हजार दो सौ नब्बे रू0) को रोकड़बही में दर्ज नहीं किया गया जो वित्तीय नियमों की धज्जियॅा उड़ाने जैसा है। चेक पंजी, विपत्र पंजी (जो बाद में तैयार किया गया)का संधारण प्रमण्डल में नहीं किया गया।

10. जॅाच दल द्वारा रोकड़बही में गड़बड़ी आदि के लिए श्री शाहिद लतीफ अंसारी तमन्ना, तत्कालीन रोकड़पाल को जिम्मेवार बताया गया, जो रोकड़ को निजी जागीर समझ कर सरकारी पैसे का निजी लाभ/व्यवहार में उपयोग करते रहे परन्तु श्री सिन्हा कार्यालय प्रधान होने के नाते इतनी बड़ी–बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे।

विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॅाच पदाधिकारी द्वारा आरोप सं0 1,2,3,4,5,7,8 एवं 9 पूर्णतः प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि सभी आरोप वित्तीय अनियमितता के हैं एवं सरकार की भारी राशि का गबन किया गया है तथा गबनित राशि के लिए श्री सिन्हा के विरूद्व खजांची हाट थाना, पूर्णिया में प्राथमिकी भी दर्ज है। अतः प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिन्हा को सेवा से बर्खास्त का दण्ड देने का निर्णय लिया गया। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में प्रस्तावित दण्ड के लिए विभागीय पत्रांक 577 दिनांक 25.7.08 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री सिन्हा से लम्बी अवधि के पश्चात भी द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब अप्राप्त रहा। तदुपरान्त मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त चॅूकि विभागीय कार्यवाही में कुल नौ आरोपों में से आठ आरोप प्रमाणित पाये गये थे एवं सभी आरोप वित्तीय गबन से संबंधित थे अतः पूर्व प्रस्तावित दण्ड सेवा से बर्खास्तगी को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। तदुपरान्त श्री सिन्हा को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव में विभागीय पत्रांक 78 दिनांक 24.2.09 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक 849 दिनांक 16.7.09 द्वारा श्री सिन्हा को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव में सहमति प्रदान की ।

पुनः श्री सिन्हा को सेवा से बर्खास्त करने से संबंधित विभागीय प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 22.9.09 की बैठक में श्री सिन्हा को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की गयी।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री शम्भु शरण सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी उप–समाहर्त्ता (सहायक अभियन्ता) राजस्व सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णिया को विभागीय अधिसूचना सह ज्ञापांक 1052 दिनांक 12.10.09 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–11259/10 दायर किया गया जिसमें दिनांक 01.12.11 को माननीय न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय पारित करते हुए उक्त विभागीय अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया एवं वादी द्वारा समर्पित किये जाने वाले द्वितीय कारण पृच्छा के स्टेज से पांच माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही का निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सह ज्ञापांक 615 दिनांक 11.6.12 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश अधिसूचना सह ज्ञापांक 1052 दिनांक 12.10.09 को इस शर्त के साथ निरस्त कर दिया गया कि वादी श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब दिनांक 28.12.11 के समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से यह आदेश प्रभावित होगा।

श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव दिनांक 28.12.11 की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। आरोपी श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के कंडिका 1 एवं 2 जो जलकर रोकड़बही का संधारण नहीं करने तथा कपटपूर्ण तरीके से रोकड़बही में हेरफेर कर 48,97,656/– (अड़तालीस लाख सनतानबें हजार छः सौ छप्पन रू0)का गबन एवं हस्तपावती के आधार पर अग्रिम दर्शाकर रू0–24,76,421/–(चौबीस लाख छीहतर हजार चार सौ इक्कीस रू0) का गबन एवं वित्तीय अनियमितता से संबंधित है के संबंध में एक साथ अपने बचाव प्रत्युतर में बताया

गया है कि राजस्व प्रमण्डल, पूर्णिया के अधीन उनके कार्यकाल में हुए अंकेक्षण में किसी वित्तीय अनियमितता अथवा गबन प्रकाश में नहीं पाया गया। उनके प्रभार सौपने के पश्चात दूसरे अंकेक्षण दल द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है वह पूर्व के प्रतिवेदन के विपरीत है तथा दोनों में विरोधाभाष है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि स्थापना मद की राशि पटवन कर के रूप में जमा किया गया तथा वह राशि संबंधित तहसीलों से प्राप्त नहीं करायी गयी। अस्थायी अग्रिम के संबंध में संबंधित अंचल पदाधिकारी जिन्हें अग्रिम दिया गया है वे जिम्मेवार होते है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा इन आरोपों के संबंध में विस्तार से व्यौरा प्रस्तुत करते हुए आरोपी श्री सिन्हा एवं तत्कालीन रोकड़पाल श्री तमन्ना को पूर्णतः जबावदेह मानते हुए दोषी माना गया है।

एक अस्थायी अग्रिम के समायोजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि इनके कार्यकाल में विभिन्न अंचलों के नाम पर अग्रिम वैसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो ठीक से लिख पढ़ भी नहीं सकता था, को बिना किसी प्राधिकार पत्र के ही दे दिया गया। चूँकि उक्त अग्रिम फर्जी ढ़ंग से दिया गया था अतः उसे संबंधित अंचल के लेखा में नहीं लिया गया। यदि प्रत्येक माह में पूर्व के अग्रिम का समायोजन हेतु विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया होता तो इतनी बड़ी राशि का गबन नहीं होता। जाहिर है कि रोकड़पाल के साठ–गांठ से वर्षो तक इस प्रकार फर्जी अग्रिम दर्शाकर सरकारी राशि का गबन किया गया।

जहॉ तक स्थापना मद की राशि को पटवन कर के रूप में जमा किये जाने एवं वह राशि तहसीलों से प्राप्त नहीं होने का उतर है यह भी मात्र आरोपी द्वारा मामले में बरगलाने का प्रयास मात्र है। आरोपी श्री सिन्हा के प्रतिस्थानी पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पत्रांक 974 दिनांक 20.9.03 में बताया गया है कि श्री सिन्हा द्वारा जहॉ तक पत्र में दर्शाया गया है कि वर्ष 2002–03 में रू0 25,51,205/– (पच्चीस लाख इकावन हजार दो सौ पांच रू0)स्थापना मद की राशि को वसूली मद में विप्रेषित कर दिया गया है वहीं दूसरे पत्र में उन्होंने कहा है कि सिंचाई राजस्व निरीक्षकों, अंचल पदाधिकारियों एवं संग्राहकों के स्थापना मद के पैसे से निर्धारित पटवन कर वसूली की राशि काट ली जाती थी एवं उनके पूरे पावने की राशि को उनसे प्राप्ति हस्ताक्षर करा लिया जाता था। जॉच टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी उपर्युक्त तथ्यों की विस्तार से समीक्षा एवं विवरण प्रस्तुत किया गया है। वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी द्वारा मामले को उलझाने का प्रयास किया गया है जबकि उनके विरूद्व आरोप प्रमाणित पाये गये है।

आरोप सं0–3, रू0 55,280/– (पचपन हजार दो सौ अस्सी रू0) रोकड़बही में कम दर्शाते हुए गबन के आरोप के संबंध में श्री सिन्हा द्वारा अपने बचाव में बताया गया है कि उस तिथि को कुल 20 विपत्रों की निकासी की गई तथा प्रत्येक की प्रविष्टि रोकड़वही में ठीक ठीक दर्ज है। टोटल में भूल के कारण ऐसा हुआ है जिसके लिए उन्हें नहीं बल्कि रोकड़पाल को जिम्मेदार माना जा सकता है। जॉच प्रतिवेदन एव अभिलेखों से विदित होता है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वे प्रत्येक दिन के Transaction का ठीक से पर्यवेक्षण करते तथा closing balance के Details मिलान करते। यदि उक्त मौलिक दायित्व का निर्वहन किया जाता तो उक्त कदाचार को तत्क्षण पकड़ा जा सकता था, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि रोकड़पाल के प्रत्येक कार्यकलाप के लिए उन्हें खुली छूट एवं सहमति दे दी गई थी। जिसके कारण उक्त राशि गबनित हुआ अतः श्री सिन्हा इस आरोप के लिए भी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।

आरोप सं0–4, रू0 1,40,74,763/– (एक करोड़ चालीस लाख चौहतर हजार सात सौ तीरसठ रू0)गबन एवं इसके लिए उनके विरूद्व स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के आरोप के संबंध में श्री सिन्हा द्वारा उक्त आरोप के अस्पष्ट होने की बात कही गयी है। वस्तुतः यह सम्पूर्ण गबनित राशि का योग है। जिसका ब्यौरा प्राथमिकी में दर्शाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में इस सम्पूर्ण गबनित राशि के लिए आरोपी श्री

सिन्हा एवं तत्कालीन रोकड़पाल को संयुक्त रूप से दोषी बताया गया है। चूँकि यह मामला माननीय न्यायालय के पटल पर विचाराधीन है अतः इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होगा।

आरोप सं0–5 राजस्व प्रमण्डल, पूर्णिया के रोकड़वही सं0 59 वर्ष 2003–04 के अंतशेष की राशि रू0 2,29,24,184.44 (दो करोड़ उनतीस लाख चौबीस हजार एक सौ चौरासी रू0 चौवालीस पैसे)दिनांक 31.3.03 को दर्ज था परन्तु रोकड़वही सं0 60 पर दिनांक 7.4.03 का आरम्भ शेष दर्ज किये जाने के पूर्व यह प्रमाणित नहीं किया गया कि उक्त अवधि में कोई Transaction नहीं हुआ। उनके प्रतिस्थानी पदाधिकारी द्वारा प्रभार ग्रहण की तिथि को अंतशेष रू0 83,38,955.44 (तेरासी लाख अड़तीस हजार नौ सौ पचपन रू0 चौवालीस पैसे) पाया गया। आरोपी पदाधिकारी श्री सिन्हा द्वारा बताया गया कि दिनांक 7.4.03 से प्रभार सौंपने की तिथि 29.4.03 की अवधि में रू0 1,44,45,105.44 (एक करोड़ चौवालीस लाख पैतालीस हजार एक सौ पांच रू0 चौवालीस पैसे)के प्रमाणक का समायोजन किया गया।

जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों से विदित होता है कि दिनांक 1.4.03 से 27.4.03 के बीच 1.45 करोड़ अग्रिम का समायोजन किया गया बताया गया परन्तु उससे संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। जांच पदाधिकारी द्वारा उक्त के लिए तत्कालीन रोकड़पाल एवं आरोपी श्री सिन्हा को संयुक्त रूप से दोषी बताया गया है। अग्रिम समायोजन से संबंधित प्रमाणकों को अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध नहीं कराये जाने से आरोप सं0–1 एवं 2 में गठित आरोप पूर्णतः सिद्ध हो जाते है कि आरोपी एवं तत्कालीन रोकड़पाल द्वारा फर्जी ढ़ंग से किसी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के नाम से बिना प्राधिकार पत्र के संबधित आठों के नाम से अग्रिम दर्शाया गया जिसे फर्जी प्रमाणक बनाकर उसे रोकड़वही में समायोजित दिखाया गया। उक्त कार्यकलाप से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आरोपी श्री सिन्हा द्वारा लेखा संधारण के निर्धारित प्रक्रिया को ताक पर रखकर तत्कालीन रोकड़पाल के साठ–गांठ से आरोप सं0–1 एवं 2 में वर्णित रू0 48,97,656/–(अड़तालीस लाख सनतानबे हजार छः सौ छप्पन रू0) एवं रू0 24,76,421/–(चौबीस लाख छीहतर हजार चार सौ इक्कीस रू0)के अतिरिक्त अन्य आरोपों में वर्णित राशि का कपटपूर्ण ढंग से गबन किया गया।

आरोप सं0–6 रू0 1,45,91,294/–(एक करोड़ पैतालीस लाख इकानबे हजार दो सौ चौरानबे) के समतुल्य प्रमाणक (एल0 ए0 आर0) अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के आरोप के संबंध में आरोपी श्री सिन्हा द्वारा अपने बचाव में बताया गया कि उक्त प्रमाणक अंकेक्षण की अवधि में काफी खोजबीन के बाद भी उपलब्ध नहीं किया जा सका जो अब ढूँढ लिया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि समायोजित की गयी राशि का प्रमाणक विधिवत् रोकड़बही में दर्ज होने के बाद सुरक्षित रखा जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। रोकड़पाल द्वारा इसे भंडार में रखे जाने तथा अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने को जांच पदाधिकारी द्वारा रोकड़पाल एवं आरोपी पदाधिकारी का साजिश बताते हुए इन दोनों को संयुक्त रूप से दोषी बताया गया है।आरोपी श्री सिन्हा का बचाव में दिया गया तर्क के आधार पर उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है।

आरोप सं0–7 में भरपायी पंजी 164 का पृ0–82–83, 110–111 एवं भरपायी पंजी 159 का पृ0 273–276 गायब होने तथा उससे संबंधित राशि रू0 16500/–(सोलह हजार पांच सौ रू0) का सत्यापन नहीं हो सकने के संबंध में आरोपी द्वारा अपने बचाव में बताया गया है कि भरपायी पंजी का कोई पृष्ट गायब होने का उल्लेख अंकेक्षण दल द्वारा नहीं किया गया। उनके प्रभार स्थानान्तरण के आठ माह बाद यह मामला बनाया गया है। भरपायी पंजी कार्यालय का अभिलेख होता है अतः इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। जांच पदाधिकारी द्वारा इस आरोप के संबंध में आरोपी श्री सिन्हा एवं तत्कालीन रोकड़पाल को पूरी कारगुजारी में सम्मिलित बताते हुए इस कृत्य में भी श्री सिन्हा की सहभागिता बतायी गयी है। आरोपी श्री सिन्हा एवं तत्कालीन रोकड़पाल द्वारा राजस्व प्रमण्डल,पूर्णिया में जिस

प्रकार सांठ–गांठ कर सरकारी धन का गबन एवं दुर्विनियोग किया गया है, उससे इस आरोप के संबंध में भी आरोपी की संलिप्तता बनती है।

आरोप सं0–8 तत्कालीन रोकड़पाल श्री तमन्ना के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में आरोपी द्वारा बचाव में कहा गया है कि जब जांच पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी तत्कालीन रोकड़पाल द्वारा उन्हें अंधकार में रखकर सारी गड़बड़ी करने का उल्लेख है तो वे तत्कालीन रोकड़पाल के विरूद्व कैसे कोई कार्रवाई करते।

श्री सिन्हा को उक्त बचाव बयान के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से इतनी तो अपेक्षा रखी जा सकती है कि वे कम से कम रोकड़पाल की कारगुजारी पर सतर्क रहे। आरोपी का उक्त बयान पूरे मामले को भरमाने जैसा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों से आरोपी के विरूद्व गठित आरोप प्रमाणित होते है तथा कदाचार की प्रकृति अपने आप में साबित करता है कि एक लम्बे अर्से तक राजस्व प्रमण्डल,पूर्णिया के अधीन आरोपी श्री सिन्हा के कार्यकाल में सरकारी निधि का जिस प्रकार कपटपूर्ण ढंग से तथा सुनियोजित आधार पर गबन एवं दुर्विनियोग किया गया वह बिना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के सक्रिय सहयोग एवं सांठ – गांठ के संभव नहीं था।

2. इस प्रकार श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन के प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिन्हा को पुनः सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

3. सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री शम्भू शरण सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (सेवा से बर्खास्त) जिनकी बखास्तगी आदेश को सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–11259/10 में दिनांक 1.12.11 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निरस्त कर दिया गया है, को पुनः सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

4. इसमें बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पत्रांक 1736 दिनांक 30.10.12 द्वारा एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन दिनांक 26.2.13 की बैठक में प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 535-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in